कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र

पत्रांकः 1159 /क्षे0प्र0 / दे0पा0क्षे0 / नीलामी विज्ञप्ति–यात्री प्लाजा / 26 दिनांकः 13 मई , 2026

-:ई-निविदा सूचनाः-

निगम मुख्यालय के पत्रांक 1467रोपी / 20–01जन / यात्री प्लाजा / 19, दिनांक 26 नवम्बर, 2020, पत्रांक 1469रोपी / 2020–01जन / यात्री प्लाजा / 2019 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020, पत्रांक संख्या 1478रोपी / 20–01जन / यात्री प्लाजा / 2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 एवं 47रोपी / 21–01जन / यात्री प्लाजा / 2019 दिनांक 18 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्या–64 रोपी / 21–01 जन / यात्री प्लाजा / 2019 दिनांक–21 जनवरी, 2021 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र, के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर संचालित होने वाली परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की सुविधार्थ सुव्यवस्थित खानपान सुविधा हेतु नवीन यात्री प्लाजा योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा अमांत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	0 मार्ग का नाम	प्रस्तावित ढाबों की संख्या
1	बहराइच से लखनऊ, सड़क के बांयी तरफ (जरवलरोड–घाघराघाट के मध्य)	01 – (वातानुकूलित बसों हेतु)
2	लखनऊ से बहराइच, सड़क के बांयी तरफ (घाघराघाट–जरवलरोड के मध्य)	01 – (साधारण बसों हेतु)

टेण्डर आमंत्रण नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र प्रारूप को परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर अपलोड कर दिया गया है। निगम मुख्यालय द्वारा तय की गयी नीति के अनुसार अपने प्रस्ताव को आनलाईन ई–टेण्डर पर आवदेन फार्म अपलोड कराने होंगे, जिस पर क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्तावों को खोलकर नियम एवं शर्तो से मिलान कर प्रस्ताव एक तालिका में स्थलवार चार्ट बनाकर संयुक्त हस्ताक्षर से अधिकतम टेण्डरदाता प्रति बस ठहराव देने वाले की क्षेत्रीय समिति अपनी स्पष्ट संतुति सहित स्वीकृति हेतु स्पष्ट प्रस्ताव निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। अधिकतम टेण्डर दाता द्वारा प्रति बस ठहराव दिये जाने की दर तथा निगम मुख्यालय के पत्र संख्या– 1467 रोपी / 20–01जन / यात्री प्लाजा / 19 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के निर्देशानुसार प्रति बस ठहराव की अधिकतम दर के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा लागू की गयी जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगी एवं प्रतिभूति राशि रू0 50,000/– (पचास हजार मात्र) का आर0टी0जी0एस0 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र R.M. U.P.S.R.T.C. DEVIPATAN REGION के संचालन खाता संख्या–0181002100122835 आईएफएससी कोड– PUNB0018100 पक्ष में टेण्डर फार्म के साथ रसीद प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें से टेण्डर फार्म शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 500.00+जी0एस0टी0 सहित निविदा प्रपत्र की जमा धनराशि रिफन्डेबुल नही होगी, तथा टेण्डर फार्म के साथ प्रस्तुत किया गया रू0 50,000/– (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट, जिन टेण्डरदाताओं का टेण्डर स्वीकृत नहीं होगा, उनकी वापसी की जायेगी। स्टेज बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

आनलाईन टेण्डर प्राप्त करने का दिनांक–13.05.2026 से 28.05.2026 को समय 14:00 बजे तक

आनलाईन टेण्डर खोले जाने का दिनांक व समय 28.05.2026 को समय 15:00 बजे

प्रतिभाग करने वाले टेण्डरदाताओं को अपने टेण्डर फार्म के साथ भूमि सम्बन्धी अभिलेखों, निर्मित अथवा अनिर्मित यात्री प्लाजा/ढाबे के फोटोग्राफ्स सहित अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त अपना आधार, जी0एस0टी0 पंजीयन, पैन कार्ड, नगर निगम द्वारा जारी खाद्यनियंत्रक एवं FSSAI की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से निर्गत चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

-:यात्री प्लाजा योजना की नियम एवं शर्तें:-

1– निगम बसों के यात्रियों की सुविधा हेंतु क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 किमी0 (+/– 10 किमी0) की दूरी पर यात्री प्लाजा की उपलब्धता न होने एवं एक ही यात्री प्लाजा होने पर अधिक बसों के ठहराव के फलस्वरूप यात्रियों की डिमाण्ड के अनुसार खाद्य पदार्थो की अनुपलब्धता तथा गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण क्षेत्रीय मुख्यालय से यात्री प्लाजा का अप डाउन में 50 किमी0 (+/–10 किमी0) की दूरी पर चिन्हीकरण /अनुबन्धन किया जायेगा।

2– यात्री बाहुल्यता के कारण यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति एवं अनावश्यक ठहराव में विलम्ब के दृष्टिगत् जिन मार्गो पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है, उन मार्गो पर यात्री सुविधा प्रभावित न हो, जिसके कारण 02 यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण /अनुबन्धन किया जायेगा।

3– यात्री प्लाजा संचालन हेतु आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या बैद्य लीज की 4000 वर्गमीटर भू स्थान का वैद्यानिक स्वामित्व/कब्जा होना चाहिए और सामने का भाग न्यूनतम 50 मी0 चौड़ा होना चाहिए एवं अन्य निर्धारित मानको को पूरा करना होगा।

4– जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नही है। वहां किराया और सामने का भाग न्यूनतम 30 मीटर 30 मी0 चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरान्त कारणों का उल्लेख करते हुये संस्तुति मुख्यालय प्रेषित करते हुए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

5– जिन मार्गो पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है उन मार्गो पर दो–दो यात्री प्लाजा अप डाउन के लिए तथा एसी बसों के ठहराव के लिए पृथक से यात्री प्लाजा का <u>चिन्हीकरण/अनुबन्धन।</u>

6– अनुबन्धित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किग स्थल को इन्टर लांकिग होना अनिवार्य, प्लाजा के फन्ट पर 5X15 फुट का ग्लो साइन बोर्ड, जिस पर निगम का लोगो तथा प्लाजा निगम से अनुबन्धित प्रदर्शित होना, इसके अतिरिक्त सडक की ओर डबल साइड 6X6 का बोर्ड परिवहन निगम का अधिकृत यात्री प्लाजा पोल या एन्गल माउन्डेड 8 फुट डिस्पले रखा जायेगा।

7– अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाए रखने के लिये भवन के अग्रभाग/फन्टेज को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, ताकि चिहिन्त करने में असुविधा न हो। मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

8–प्लाजा संचालक द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित प्रमाण पत्र ही वैद्य माना जायेगा।

<u>आवश्यक सुविधाएं जो यात्री प्लाजा द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।</u>

1. खान–पान स्थान हेतु न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने के लिये फर्नीचर।

02.निःशुल्क प्यूरीफाइड पेयजल की व्यवस्था।

03.महिला शौचालय 04।

04. पुरूष शौचालय 04।

05. यूरिनल सीट 05।

06. यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम 80 सीलिंग फैन।

07. वास बेसिंग एवं टावेल, साबुन की उपलब्धता।

08. जनरेटर 16 के0वी0ए0।

09. डीप फ्रीजर।

10. खादय पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडविल ऑयल आदि हानिकारक फैट कन्टेट व लो सेचुरेटेड फण्ड के दृष्टिकोष से उच्चतर एफ0डी0ए0/एगमार्क मानक के अनुरूप।

11. कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कार्मिशियल कनेक्शन या कुकिंग कोल की व्यवस्था।

12–खान–पान संबंधी वस्तुओ की दरों की सूची।

13– शिकायत पुस्तिका।

14– हाईजीन साफ–सफाई।

15 (अ)—मैन्यु व रैंट रूपया 60/—प्रति थाली, 60/— जिसमें 04 रोटी (30 ग्राम प्रत्येक) सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एम0एल0 गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल।
(ब) रू0 50/— में पैक्ड 05 पूड़ी (न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं अचार (न्यूनतम 10 ग्राम)
(स) रू0 50/— में पैक्ड 02 स्लाइस की बेज सैंडविच या उक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

16— 200 किमी0 या उससे लम्बी दूरी बस के क्रू को निःशुल्क (न्यूनतम जनता थाली के समतुल्य निःशुल्क भोजन व्यवस्था)।

17— निगम कार्मिकों को भोजन की दरों में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

18— पैक्ड खान—पान की सामग्री को कम्पनी के अंकित एम0आर0पी0 सीमा में विक्रय किया जायेगा।

19— आवश्यकतानुसार निगम द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो में किये गये संशोधन यात्री प्लाजा संचालक को मान्य होगे।

20—निर्धारित दिनांक में टेण्डरदाताओं के समक्ष खोले जायेगे तथा किसी भी प्रस्ताव करने अथवा न करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

21— अपरिहार्य स्थिति में क्षेत्रीय समिति द्वारा बिना कारण बताये मुख्यालय के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त/स्थगित भी किया जा सकता है।

22—शेष नियम व शर्ते परिवहन निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 1467रोपी/20—01जन/यात्री प्लाजा/19, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के अधीन होगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
देवीपाटन क्षेत्र,

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रधान प्रबन्धक (संचा0) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2— प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य/विपणन) महोदय, उ0प्र0 परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ।
3— प्रधान प्रबन्धक (एम0आई0एस0) महोदय, परिवहन निगम मुख्याल, लखनऊ को इस आशय से कि टेण्डर को निगम की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4— जन सम्पर्क अधिकारी, महोदय, परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ।
5— प्रधान प्रबन्धक (आई0टी0), महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6— नोडल अधिकारी, उ0प्र0परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र।
7— समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम। (ई—मेल द्वारा)
8— सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र, बहराइच।
9— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा।
10— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, गोण्डा /बहराइच/बलरामपुर डिपो/केन्द्र प्रभारी रूपईडीहा, गोण्डा डिपो।
12— सम्पादक स्थानीय समाचार पत्र/दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण/ हिन्दुस्तान /राष्ट्रीय सहारा/राष्ट्र नमन टाइम्स गोण्डा/बहराइच। बलरामपुर/श्रावस्ती

क्षेत्रीय प्रबन्धक
देवीपाटन क्षेत्र,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाषः पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461

फैक्सः 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्र संख्या– 1467 रोपी/2020–01जन/यात्री प्लाजा/19 दिनांक 26 नवम्बर, 2020

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– यात्री प्लाजा योजना के संशोधन के सम्बन्ध में।

विषयांकित प्रकरण में कृपया पत्र संख्या–318रोपी/20–01जन/यात्री प्लाजा/19, दिनांक 11 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निगम निदेशक मण्डल की आयोजित 227वीं बैठक दिनॉक–12.02.2020 की मद संख्या–32 में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। योजना को और प्रभावी करने के उद्देश्य से पुनः निदेशक मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 19–11–2020 में मद संख्या–23 पर इस हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कतिपय संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी, के आलोक में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

A–1 निगम बसों के यात्रियों की सुविधा हेतु क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 कि0मी0 (+/–10)की दूरी पर यात्री प्लाजा की उपलब्धता न होने एवं एक ही यात्री प्लाजा होने पर अधिक बसों के ठहराव के फलस्वरूप यात्रियों की डिमाण्ड के अनुसार खाद्य पदार्थो की अनुपलब्धता तथा गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण क्षेत्रीय मुख्यालय से यात्री प्लाजा का अप–डाउन में 50 कि0मी0 (+/–10) की दूरी पर चिन्हीकरण/ अनुबंधन किया जायेगा।

A–2 यात्री बाहुल्यता के कारण यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति एवं अनावश्यक ठहराव में विलम्ब के दृष्टिगत जिन मार्गो पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है, उन मार्गो पर यात्री सुविधा प्रभावित न हो, जिसके कारण 02 यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण/अनुबंधन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ए0सी0 बसों के ठहराव हेतु पृथक से यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण किया जायेगा।

A–3 यात्री प्लाजा के अनुबंधन हेतु निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे तथा जो टेण्डरदाता निविदा के समस्त निर्धारित मानकों को पूर्ण करेगा तथा प्रति बस प्रति हाल्ट अधिकतम हाल्टेज चार्ज की दर प्रस्तावित करेगा, उसी निविदादाता को यात्री प्लाजा के संचालन हेतु चयनित किया जायेगा।

A–4 यात्री प्लाजा के अनुबंधन हेतु इच्छुक संचालक/ईकाई स्वामी द्वारा प्लाजा संचालन हेतु दिये गये आवेदन पर भू क्षेत्रफल में निर्धारित व्यवस्थायें पूर्ण कराने के लिये अधिकतम 03 माह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में प्लाजा अनुबंध से पूर्व क्षेत्रीय समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुबंधन की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में संचालक द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने की दशा में सिक्योरिटी मनी जब्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि विशेष परिस्थितियों/कारणों से संचालक द्वारा 03 माह में प्लाजा का संचालन नहीं किया जाता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए समय को विस्तारित किये जाने हेतु मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। विस्तारित अवधि अधिकतम 03 माह होगी, जो विलम्ब

Downloaded From www.upsrtcup.gov.in

शुल्क के साथ एक माह हेतु रू0 2000/–दो माह हेतु रू0 5000/– तथा तीन माह के लिए रू0 10,000/–प्लाजा संचालक द्वारा देय होगी।

A–5 यात्री प्लाजा संचालन हेतु आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या वैध लीज की 4000 वर्ग मीटर भू स्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा होना चाहिए और सामने का भाग न्यूनतम 50 मीटर चौड़ा होना चाहिए एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

A–6 जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नहीं है। वहॉ द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत 2500 से 3000 वर्ग मीटर भू स्थान जिसका वैधानिक स्वामित्व/लीज (किराया) और सामने का भाग न्यूनतम 30 मीटर चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरान्त कारणों का उल्लेख करते हुए संस्तुति मुख्यालय प्रेषित करते हुए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

A–7 सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ही मार्ग पर अप एवं डाउन यात्रा हेतु अलग–अलग यात्री प्लाजा का चयन किया जायेगा।

A–8 किसी भी दशा में यात्री प्लाजा के स्थान के ऊपर से विद्युत तार/एच0टी0 लाइन न जा रही हो।

A–9 अनुबंधित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किग स्थल को इंटरलॉकिंग कराना अनिवार्य होगा तथा प्लाजा के फ्रट पर 5X15 फुट का ग्लो साइन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर निगम का "लोगो" तथा प्लाजा निगम से अनुबंधित प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सड़क की ओर डबल साइड 6X6 फुट का बोर्ड परिवहन निगम का अधिकृत "यात्री प्लाजा" पोल या एंगिल माउन्डेड 8 फुट डिस्पले रखा जायेगा। अनुपालन न करने की स्थिति में नोटिस में समय देकर अनुबंध समाप्त की कार्यवाही की जायेगी।

A–10 अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाये रखने के लिये फ्रण्टेज पर Facade (मुखौटा) को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरुप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, ताकि चिन्हित करने में असुविधा न हो। मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

A–11 यात्री सुविधा के दृष्टिगत यात्री प्लाजा में साफ–सफाई एवं खान–पान की गुणवत्ता उच्च कोटि की होना प्राथमिकता होगी। कमी पाये जाने पर प्रथम बार निरीक्षण में नोटिस, द्वितीय बार में रू0 5000/–तथा तीसरी बार रू0 10,000/–का अर्थदण्ड एवं चौथी बार जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

A–12 अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी। इसके अतिरिक्त निविदादाता द्वारा प्रत्येक वर्ष हाल्टेज चार्ज में 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

A–13 क्षेत्र के अधीन संचालित यात्री प्लाजा का क्षेत्रीय प्रबन्धक माह में एक बार तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपोज द्वारा पाक्षिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा एवं अनुपालन आख्या प्रत्येक माह निरीक्षणकर्ता द्वारा प्लाजा के गुणवत्ता पर ग्रेडिंग के अनुसार रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

A–14 विभिन्न मार्गो पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित यात्री प्लाजा का मुख्यालय से सम्बद्ध सभी यातायात अधीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा बसों के निरीक्षण के साथ–साथ मार्ग पर पड़ने वाले यात्री प्लाजा का भी निरीक्षण निगम द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए रिपोर्ट सीधे मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

A–15 बस यात्रियों की आवश्यकताओं हेतु रू0 60/– में 04 रोटी (30 ग्राम प्रत्येक) सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एम0एल0 गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल व रू0 50/–में पैक्ड 05 पूड़ी (न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं अचार (न्यूनतम 10 ग्राम) व रू0 50/–में पैक्ड 2 स्लाइस की बेज सैडविच या एक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

A–16 उक्त खाद्य सामग्री की बिक्री प्रत्येक प्लाजा पर अवश्य करायी जायेगी तथा दरें काउन्टर के सम्मुख स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। निर्धारित खाद्य सामग्री प्लाजा संचालक द्वारा बिक्री न किये जाने की दशा में नोटिस/अर्थदण्ड जैसी कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

B– निगम में संचालित यात्री प्लाजा के प्रभावी अनुसरण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

B–1 जिन स्थानों पर यात्री प्लाजा संचालित है, उन स्थानों पर निगम की बसों का ठहराव शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये। मार्ग में संचालित अनाधिकृत यात्री प्लाजा व अन्य अनाधिकृत स्थानों (ढाबों) पर बसें कदापि न रोकी जायें, अन्यथा बस के संबंधित चालक/परिचालक को यात्रियों के अवैध डी–टेन्शन का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी। अनाधिकृत ढाबों में बसों को खड़ी करते पाये जाने वाले संबंधित क्रू के विरूद्ध प्रथम प्रकरण पाये जाने पर रू0 2000 का एवं पुनः दोषी पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रू0 3000 का अर्थ दण्ड रोपित कर कार्यवाही की जायेगी। यदि चालक/परिचालक नियमित है तो निलम्बन की कार्यवाही करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाये और यदि संबंधित क्रू संविदा कार्मिक है तो तत्काल प्रभाव से उसकी संविदा समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र/डिपो के अधीनस्थ अनाधिकृत ढाबें पर बसें खड़ी पाये जाने वाले उस क्षेत्र के चेकिंग दल, डिपो चेकिंग दल को उत्तरदायी मानते हुए कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। चेकिंग में बार–बार बसें अनाधिकृत ढाबों पर खड़ी पाये जाने वाले संबंधित डिपों के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

B–2 न्यूनतम 02 घण्टे लगातार यात्रा के पश्चात ही बसों को यात्री प्लाजा पर रोका जाय, यदि मार्ग पर इस अवधि में कोई चिन्हित यात्री प्लाजा पड़ता भी है तो वहाँ पर बस नहीं रोकी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यात्री प्लाजा में बसों का ठहराव 20 मिनट से अधिक का न हो। इससे कम दूरी की वे ही सेवायें इस स्थान पर अधिकतम 10 मिनट केवल पैक्ड आइटम बस में ही बैठे यात्रियों को सुलभ कराने के लिए रूक सकेंगी। 20 मिनट से अधिक ठहराव की स्थिति में यात्री प्लाजा स्वामी द्वारा बसों की सूची संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक को अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी, यदि फिर भी निरीक्षण में 20 मिनट से अधिक ठहराव पाया जायेगा तो यात्री प्लाजा स्वामी के विरूद्ध अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

B–3 सभी यात्री प्लाजा के डायनिंग हॉल तथा बसों के पार्किंग यार्ड में प्लाजा स्वामी द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाना आवश्यक है, जिसको आई0पी0 एड्रेस लिंक से जोड़ा जाय।

B–4 चालक/परिचालक द्वारा प्रत्येक ट्रिप के लिए यात्री प्लाजा स्वामी से निर्धारित धनराशि प्राप्त कर ई0टी0एम0 मशीन से टिकट जारी कराया जाना सुनिश्चित किया

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

जायेगा तथा यात्री प्लाजा से प्राप्त आय का विवरण डिपो स्तर पर तिथिवार/बसवार रखा जायेगा और निम्नलिखित प्रारूप में मासिक रूप से विलम्बतम आगामी माह की 07 तारीख तक संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक	डिपो का नाम	बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर	धनराशि
1	2	3	4
	योग		

B–5 यात्री प्लाजा में खान–पान की गुणवत्ता, रेट चार्ट, प्रसाधन, पेय जल की व्यवस्था एवं उच्च कोटि की सफाई का नियमित निरीक्षण संलग्न प्रारूप में निर्धारित मानक के अनुसार नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या प्रतिमाह मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

B–6 सभी यात्री प्लाजा के चिन्हित स्थानों की जियो फैसिंग, प्रधान प्रबन्ध (आई0जी0) द्वारा करायी जायेगी, जिससे यह स्थान बसों की अवैध ठहराव की श्रेणी में न आये।

B–7 वर्तमान में अधिक संख्या में यात्री प्लाजा संचालित है/हो रहे है।

अतः यदि बी0टी0एस0 के माध्यम से चेक करने पर बसों का अवैध ढाबों पर ठहराव पाया जाता है तो चालक/परिचालक के विरूद्ध दण्डात्मक/जुर्माना की कार्यवाही बिन्दु ब के क्रमांक 01 में दर्शायी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

B–8 यदि किसी डिपो/क्षेत्र में बसों के अवैध ठहराव संबंधी प्रकरण प्राप्त होते है तो अनाधिकृत ठहराव जिस डिपो के क्षेत्राधिकार में होगा, उस डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

B–9 अनुमन्य सभी यात्री प्लाजा स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि निर्धारित आकार एवं डिजाइन का बोर्ड प्लाजा के सामने इस प्रकार लगाये कि बस चालक एवं यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

B–10 परिवहन निगम की बसों में "मील ऑन रोड" ऐप के माध्यम से निगम द्वारा अधिकृत ढाबों पर ठहराव सुनिश्चित कर यात्रियों को प्री–आर्डर भोजन सुविधा प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये।

B–11 यात्री प्लाजा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, यात्रियों के लिये उपयोगी तथा इसके कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निगम द्वारा साफ्टवेयर/ऐप/ऑनलाइन के माध्यम से विकसित की गयी प्रणाली यात्री प्लाजा स्वामी को मान्य होगी एवं प्रणाली को सुचारू संचालित करने में सहयोग करेगा। इस पर आने वाले परिवहन निगम/फर्म के व्यय को यात्री प्लाजा स्वामी से निगोशियेशन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

C– निविदा निस्तारण की प्रकिया निम्नवत् होगीः–

C–1 क्षेत्रीय समिति द्वारा Two Stage Bid System के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के उपरान्त प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर, मुख्यालय को संस्तुति सहित अपने स्पष्ट प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जायेगे।

C–2 वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक–पृथक बन्द लिफाफे में डाली जायेगी। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड अंकित किया जायेगा। 02

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

स्टेज बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

C–3 प्लाजा संचालक द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र ही वैध माना जायेगा। निविदा पूर्ण होने के उपरान्त सफल निविदादाता को आवंटन आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, तभी अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त उन्हें कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी।

C–4 अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (Earnest Money Deposit) की धनराशि रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करायी जायेगी।

C–5 सफल निविदादाता द्वारा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट निम्नानुसार गणना करके एफडी (फिक्स डिपॉजिट) के रूप में जमा करानी होगी–
सिक्योरिटी मनी डिपाजिट (Security Money Deposit)= N (प्रश्नगत रूट, जिस पर यात्री प्लाजा स्थित है, से एकल दिशा में चलने वाली दैनिक औसत बसों की संख्या) x H (निविदा में सफल निविदादाता द्वारा घोषित उच्चतम् प्रति बस हाल्टेज चार्ज) x 60

C–6 क्षेत्रीय समिति द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर स्वीकृति मुख्यालय पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक स्तर से अनिम्न अधिकारी, जिसे कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित किया जाए, के द्वारा की जायेगी।

D– यात्री प्लाजा अनुबंधन हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रण के लिए नियम एवं शर्तो का निर्धारण निम्नवत् होगाः–

D–1 यात्री प्लाजा संचालक हेतु प्राप्त प्रस्ताव बस एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित व उपयुक्त हो।

D–2 क्षेत्रीय मुख्यालय से दूरी 50 कि0मी0 (+/–10) पर यात्री प्लाजा अप–डाउन का चिन्हीकरण।

D–3 यात्री प्लाजा संचालन हेतु आवेदकों के पास अपने स्वामित्व या वैध लीज की 4000 वर्ग मीटर भू स्थान का वैधानिक स्वामित्व/कब्जा होना चाहिए और सामने का भाग न्यूनतम 50 मीटर चौड़ा होना चाहिए एवं अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

D–4 जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नहीं है। वहाँ द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत 2500 से 3000 वर्ग मीटर भू स्थान जिसका वैधानिक स्वामित्व/लीज (किराया) और सामने का भाग न्यूनतम 30 मीटर चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरान्त कारणों का उल्लेख करते हुए संस्तुति मुख्यालय प्रेषित करते हुए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

D–5 जिन मार्गो पर 300 बसों से अधिक का संचालन हो रहा है। उन मार्गो पर 02–02 यात्री प्लाजा अप–डाउन के लिए तथा ए0सी0 बसों के ठहराव के लिए पृथक से यात्री प्लाजा का चिन्हीकरण/अनुबंधन।

D–6 अनुबंधित यात्री प्लाजा के सामने वाहन पार्किंग स्थल को इंटरलॉकिंग होना अनिवार्य, प्लाजा के फ्रंट पर 5X15 फुट का ग्लो साइन बोर्ड, जिस पर निगम का लोगो तथा प्लाजा निगम से अनुबंधित प्रदर्शित होना, इसके अतिरिक्त सड़क की ओर डबल साइड 6X6 फुट का बोर्ड परिवहन निगम का अधिकृत ''यात्री प्लाजा'' पोल या एंगिल माउन्डेड 8 फुट डिस्पले रखा जायेगा।

Downloaded From www.upsrtc.upgov.in

D–7 अनुबन्धित यात्री प्लाजाओं की एकरूपता बनाये रखने के लिये भवन के अग्र भाग/फ्रण्टेज (Façade/Front Elevation) को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा स्वामी विकसित करेगा, ताकि चिन्हित करने में असुविधा न हो। मानक एवं डिजाइन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

E– आवश्यक सुविधाएं जो यात्री प्लाजा द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगीः–

1– खान–पान स्थान हेतु न्यूनतम 40 व्यक्तियों के बैठने के लिए फर्नीचर
2– निःशुल्क प्यूरीफाइड पेयजल की व्यवस्था।
3– महिला शौचालय 04
4– पुरूष शौचालय 04
5– यूरिनल सीट 05
7– यात्रियों के बैठने के स्थान पर न्यूनतम 08 सीलिंग फैन।
8– वॉशबेसिन एवं टॉवेल, साबुन की उपलब्धता
9– जनरेटर 16 केबीए।
10– डीप फ्रीजर।
11– खाद्य पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त एडविल ऑयल आदि हानिकारक फैट कंटेन्ट व लो सेचुरेटेड फण्ड के दृष्टिकोण से उच्चतर एफ0डी0ए0/एगमॉर्क मानक के अनुरूप।
12– कुकिंग गैस प्रयोग की स्थिति में कामर्शियल कनैक्शन या कुकिंग कोल की व्यवस्था।
13– खान–पान संबंधी वस्तुओं की दरों की सूची।
14– शिकायत पुस्तिका।
15– हाईजीन साफ–सफाई।
16 (अ) मेन्यु व रेट रूपया 60/–प्रति थाली, 60/–जिसमें 04 रोटी (30 ग्राम प्रत्येक) सीजनल सब्जी 100 ग्राम, 150 एम0एल0 गाढ़ी दाल, एक मीडियम कटोरी चावल।
(ब) रू0 50/– में पैक्ड 05 पूड़ी (न्यूनतम 35 ग्राम प्रत्येक) व एक सूखी सब्जी (आलू/सीजनल) एवं अचार (न्यूनतम 10 ग्राम)।
(स) रू0 50/–में पैक्ड 2 स्लाइस की बेज सैडविच या एक कटलेट (100 ग्राम) के जनता/पैक्ड पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
17– 200 कि0मी0 या उससे लम्बी दूरी बस के क्रू को निःशुल्क (न्यूनतम जनता थाली के समतुल्य निःशुल्क भोजन व्यवस्था)।
18– निगम कार्मिकों को भोजन की दरों में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
19– पैक्ड खान–पान की सामग्री को कम्पनी के अंकित एम0आर0पी0 सीमा में विक्रय किया जायेगा।
20– आवश्यकतानुसार निगम द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो में किये गये संशोधन यात्री प्लाजा संचालक को मान्य होगें।
21– यह दिशा–निर्देश वर्तमान में संचालित यात्री प्लाजा पर प्रभावी नहीं होंगे, किन्तु अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर समानरूप से सभी पर प्रभावी होंगे।

उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि समस्त क्षेत्र नवीन स्थलों का चिन्हीकरण करने एवं मार्गो पर संचालित यात्री प्लाजा जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो रही है, की निविदा प्राप्त कर टेण्डर प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय समिति प्रस्तावों को खोलकर नियम एवं शर्तो से मिलान कर प्रस्ताव की एक तालिका में स्थलवार चार्ट बनाकर संयुक्त हस्ताक्षर से अधिकतम बोलीदाता, प्रति ठहराव देने वाले की क्षेत्रीय समिति अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु स्पष्ट प्रस्ताव निगम मुख्यालय को प्रेषित करें।

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

उल्लेखनीय है कि जिन यात्री प्लाजाओं के प्रस्ताव निगम स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित है, उन्हें स्वतः निरस्त मानते हुए परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार नवीन निविदा प्राप्त कर, आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–<u>निरीक्षण आख्या प्रारूप।</u>

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0 / संचा0 / प्रावि0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक (प्रवर्तन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. सचिव निगम, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 19–11–2020 के मद संख्या–23 में पारित संकल्प के अनुपालन में सूचनार्थ।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।
7. कैम्प, प्रबन्ध निदेशक / अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय।

(पी0 आर0 बेलवारियर)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

आपका अपना साथी

देवीपाटन क्षेत्र

डी0डी0नं0.................................. दिनांक ....

निविदा प्रपत्र का मूल्य
रू0 500/– (पॉच सौ रूपये) तथा +18%
जीएसटी रू0 90/– (नब्बे रूपये)
कुल रू0 590/–(पॉच सौ नब्बे रूपये)

1. फर्म/संस्था/प्लाजा का नाम–..

2. फर्म/संस्था/यात्री प्लाजा (जहॉ स्थित है) का पूरा पता...
(पिन कोड नं0 सहित)

3. फर्म/संस्था/प्लाजा का दूरभाष नं0–...

4. फर्म/संस्था/प्लाजा का ई0–मेल–..

5. फर्म/संस्था/प्लाजा का बेबसाइट–..

6. फर्म/संस्था/प्लाजा का कार्यनुभव–...

7. मार्ग का नाम (जिसके लिए निविदा की जा रही है)–..

8. अप सेवा/डाउन सेवा (जिसके लिए निविदा दी जा रही है)–..

9. स्थान का नाम व पूरा पता जहॉ यात्री प्लाजा स्थित है एवं जिला मुख्यालय से दूरी–...........

....

10. यात्री प्लाजा का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)–..
(भू स्थल का वैधानिक स्वामित्व/लीज अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

11. यात्री प्लाजा के सामने के भाग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)–..

12. यात्री प्लाजा के स्थान के ऊपर से विद्युत/हाई टेन्शन लाइन है या नही–..........................

13. जीएसटी में पंजीकृत होने का पंजीयन नं0–..
(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
14. फर्म/संस्था का पैन नं0–..
(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
15. धरोहर धनराशि का पूर्ण विवरण–
अ– डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0–.................................. दिनांक –..

ब–धनराशि (अंको में) रू0–............................ स–(शब्दों में)...

द–बैंक का नाम–...

16. कुल संलग्नकों की संख्या–..

....

नोट–
1. एक टेण्डर फार्म, मात्र एक ही यात्री प्लाजा के चयन के लिए मान्य होगा। एक से अधिक यात्री प्लाजा के लिए अलग–अलग टेण्डर फार्म ही मान्य होगें।
2. तकनीकी निविदा के साथ यात्री प्लाजा की निविदा नियामावली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त विवरण में अंकित कोई भी तथ्या असत्य/झूॅठा नही है जॉच में यदि उक्त तथ्य असत्य/झूॅठे पाये जाते है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा)

फर्म/संस्था/यात्री प्लाजा के प्रोपराइटर
का हस्ताक्षर एवं सील

Signature Not Verified
Digitally signed by ARVIND KUMAR
Date: 2026.05.15 11:08:25 IST
Location: Uttar Pradesh-UP